

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है भजनलाल सरकार

मातृत्व पोषण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, लखपति दीदी और लाडो प्रोत्साहन जैसी स्कीम्स में किए उल्लेखनीय कार्य

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य की आधी आबादी आत्मनिर्भर बनने के साथ ही गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राबू की उन्नति के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब वर्ग के उत्थान के विजन पर आधारित है राज्य सरकार ध्वी महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और उचित पोषण उपलब्ध कराने के साथ ही लिंगानुपात बेहतर करने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है।

भजनलाल सरकार ने प्रदेश में मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 5 लाख लाभार्थी महिलाओं को 170 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि भी 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है।

अब तक इस योजना में 9.71 लाख महिलाओं को 530 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साधनों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। किशोरियों और



प्रदेश की स्कूली छात्राओं को स्कूटी वितरित करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।

महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रदेश की 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं व बालिकाओं को प्रतिमाह 12 सेंनेटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों के 2273 आवेदन स्वीकृत करते हुए 199 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत 18.80 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। ऐसी लगभग 11 लाख प्रशिक्षित महिलाएं अपनी आमदनी में वृद्धि कर लखपति दीदी बन चुकी है। महिला आजीविका

संवर्धन के लिए 1.31 लाख स्वयं सहायता समूहों को 648 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अतिरिक्त 1.94 लाख स्वयं सहायता समूहों को 4704 करोड़ रुपये का ऋण भी प्रदान किया गया है। जनजाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास करते हुए 90 वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं, जिनसे 15 हजार 878 जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बेटियों का भविष्य सुरक्षित बने तथा वे पढ़-लिख कर जीवन में आगे बढ़ें।

- महिला उद्यमियों को 199 करोड़ रुपये तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को 4704 करोड़ रुपये का ऋण वितरित
- बेटी जन्म पर डेढ़ लाख, बेटियों को सार्इकिल, स्कूटी तथा सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग यूनिट का गठन

इसी मंशा के साथ पात्र परिवारों में बेटे के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही, दूरस्थ शिक्षा को सुगम बनाने के लिए 10 लाख 51 हजार बालिकाओं को साइकिल और और 39 हजार 79 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई हैं।

इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में अध्ययन के लिए 54 हजार 654 छात्राओं को 98 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं में भी 6 लाख 4 हजार बालिकाओं को लाभान्वित करते हुए

296 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक इस योजना में 558 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

बेसहारा महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 19.15 लाख महिलाओं को 5702 करोड़ रुपये तथा विधवा पेंशन योजना के तहत 4.21 लाख महिलाओं को 624 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। कन्याविवाह हेतु पात्र परिवारों की 22 हजार 559 कन्याओं के विवाह के लिए 83 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।

प्रदेश की महिलाओं को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 1 हजार कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है।

इन यूनिट्स को गश्त के लिए 500 स्कूटी उपलब्ध कराई गई हैं और 2 हजार कॉन्स्टेबल पदों का सुजन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त तीन महिला बटालियन का गठन कर 2 हजार 216 नवीन पदों की स्वीकृति भी दी गई है।

भजनलाल सरकार द्वितीय वर्षगांठ पर देगी 2 0 हजार करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

इनमें पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और नगरीय आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाएं शामिल होंगी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर दिसंबर माह में 20 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इन कार्यों में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और नगरीय आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाएं शामिल होंगी, जो प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास को नई लहर लेकर आएंगी।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्चतम गुणवत्ता के मापदण्डों के साथ पूरा किया जाए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विकास योजना का लाभ

सिधे जनता तक पहुंचे और इसका वास्तविक प्रभाव गांव, ढाणी, नगर और शहर के अंतिम व्यक्ति तक महसूस किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सुधार के रूप में दिखाई देने चाहिए। राज्य सरकार का उद्देश्य जनता से किए गए वादों को धरातल पर

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्चतम गुणवत्ता के मापदण्डों के साथ पूरा किया जाए।

उतारना है। उन्होंने कहा कि शिलान्यास किए जाने वाले कार्यों की टेंडर प्रक्रिया अग्रिम चरण में है ताकि परियोजनाओं के कार्य शीघ्र आरंभ हो सकें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार के ये कार्य प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। इन कार्यों में जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़कों के विस्तार, ऊर्जा वितरण प्रणाली के

सुदृढीकरण, शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और नगरीय विकास परियोजनाओं को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य का समग्र विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर गांव, हर मोहल्ला और हर परिवार तक विकास की किरण पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इन विकास कार्यों का शिलान्यास यह इंगित करता है कि राज्य सरकार के वादे केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर तेजी से उतर रहे हैं।

खामियों का फायदा उठाने वालों को नहीं दी जा सकती राहत, विभाग भी दुरुस्त करे कमियां : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 100 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़े मामले में फर्म की ओर से विभागीय कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता फर्म पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने विभाग को कहा कि वह नियमानुसार दंडालय कार्रवाई को आगे बढ़ाए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कोरफेक्स इंडस्ट्रीज प्रा.

लि. की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि खामियों का फायदा उठाने वाले लोगों को राहत नहीं दी जा सकती। ऐसे में जीएसटी विभाग को चाहिए कि वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की कमियों को दुरुस्त करे। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें अदालत राहत नहीं दे सकती। अदालत ईमानदार करदाताओं की

रक्षा के लिए है, न कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के लिए। अदालत ने माना कि भले कि विभाग के अधिकारियों ने प्रक्रिया में कुछ तकनीकी त्रुटियों की हों, लेकिन मामला कर चोरी और सार्वजनिक धन की हानि से जुड़ा है।

याचिका में कहा गया कि जीएसटी विभाग ने गत 30 जुलाई को कंपनी के परिसर में छापा मारा और एक मालवाहक वाहन को जब्त किया। विभाग की यह कार्रवाई तकनीकी रूप से गलत थी। क्योंकि वाहन पहले की

परिसर में पहुंच चुका था और इसे इन-ट्रांजिट नहीं कहा जा सकता था। याचिकाकर्ता ने वैध बिलों के जरिए लैड खरीदा था।

ऐसे में विभाग की कार्रवाई को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए एएसजी भरत व्यास ने कहा कि याचिकाकर्ता ने करीब सौ करोड़ का फर्ज इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। जो कंपनियां बताई जा रही हैं, वे अस्तित्व में ही नहीं थीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

स्वच्छता को लेकर मंत्री मदन दिलावर ने दिखाई सख्ती

मंत्री ने अफसरों को चेतावनी दी है कि, स्वच्छता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

जयपुर (कासं)। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि स्वच्छता में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी अब यदि कहीं भी लापरवाही दिखाई दी या नियमित सफाई नहीं हो रही होगी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंत्री दिलावर आज यहां सचिवालय में आयोजित पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारियों एवं प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में मंत्री दिलावर ने कहा कि लंबे समय से सभी ग्राम पंचायत को प्रतिदिन सफाई करने और कचरा संग्रहण के निर्देश दिए जा रहे हैं, परंतु अभी भी गांव में गंदगी मिल रही है। यह गंभीर लापरवाही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा! सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसको देखें और जहां अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सहायक विकास अधिकारी से लेकर पंचायत राज विभाग के ऊपर के सभी अधिकारी प्रति माह चार रात्रि



पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों एवं प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की।

गांव मे विश्राम व नियमित ग्राम पंचायत का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें, जिसमें स्वच्छता का निरीक्षण भी शामिल है!

मंत्री दिलावर ने कहा कि 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन आयोजित ग्राम सभा में प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक चारागाह एक पंचायत

गतिविधि तथा जलाशय, कुंड, बावड़ी की मरम्मत व अतिक्रमण हटाने के प्रस्ताव लेने थे। यदि किसी गांव में छापा मारा और एक आगामी 15 नवंबर तक उक्त पंचायत में ग्राम सभा आयोजित कर प्रस्ताव लेकर भेजे जाएं। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि ग्राम सभाओं की बैठकें सार्वजनिक

- प्रतिदिन वंदे मातरम और राष्ट्रगान का समय भी निर्धारित किया

रूप से आयोजित हों और उनकी फोटो, वीडियो व मिनस्ट्र राजस्थान पंचायत पोर्टल एवं सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को लोगों को ग्राम सभाओं में अधिकारधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने और योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रतिदिन प्रातः 9:35 पर कार्यालय में उपस्थित सभी कार्मिक सामूहिक रूप से राष्ट्रीय वंदे मातरम का गायन करेंगे तथा शाम को 5:55 पर सभी कार्मिक सामूहिक रूप से राष्ट्रगान जन गण मन का गायन कर कार्य दिवस का समापन करेंगे।

बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग डॉ जोगाराम, अतिरिक्त आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव बृजेश चंदोलिया, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सलीनी खेमका सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

यूपीईएस ने आचार्य बालकृष्ण को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि से किया सम्मानित

आचार्य बालकृष्ण आचार्य के नेतृत्व में पतंजलि मॉडल देश का अग्रणी व्यवसाय मॉडल बना : डॉ. राम शर्मा



उत्तराखण्ड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज की ओर से 23वें दीक्षांत समारोह में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि से सम्मानित किया गया।

हरिद्वार । उत्तराखण्ड का अग्रणी विश्वविद्यालय यूपीईएस (यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज) जो देश ही नहीं विश्व रैंकिंग में शुमार होता है, इसके स्कूल ऑफ बिजनेस के 23वें दीक्षांत समारोह में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जहाँ उन्हें उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच-डी मानद उपाधि) उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सर्वप्रथम यूपीईएस प्रबंधन, विद्यार्थियों एवं शिक्षकगणों ने आचार्य बालकृष्ण का स्वागत अभिमान के साथ

- आचार्य बालकृष्ण आचार्य के नेतृत्व में पतंजलि मॉडल देश का अग्रणी व्यवसाय मॉडल बना : डॉ. राम शर्मा

संगनना ही हमारी शक्ति है। कार्यक्रम में यूपीईएस के कुलपति डॉ. राम शर्मा ने मानवता की सेवा में आचार्य बालकृष्ण के समर्पण एवं निःस्वार्थ योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आपसे प्रेरणा प्राप्त कर खातक छात्र-छात्राएँ अपने जीवन के नयी पारी नव-ऊर्जा के साथ आरंभ करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि आचार्य बालकृष्ण के कुशल नेतृत्व में पतंजलि मॉडल

आज देश का एक अग्रणी व्यवसाय मॉडल बन गया है। पतंजलि मॉडल भारतीय परंपराओं के अनुरूप ग्राहकों के विश्वास को और मजबूती से आगे बढ़ाता है।

देश के प्रतिष्ठित उद्यमी आज पतंजलि मॉडल से प्रेरणा ले रहे हैं। इस सम्मान के लिए आचार्य ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. सुनील रॉय, कुलपति डॉ. राम शर्मा, प्रति कुलपति डॉ. जयशंकर, कुलसचिव प्रो. मनीष मदान, निदेशक स्कूल बिजनेस प्रो. राहुल नैनवाल, डीन-रिसर्च डॉ. अश्विनी नांगिया, एमडी, स्वल्म्बर्गर ललित अग्रवाल, अकेडमिक काउंसिल तथा गर्बर्निंग बोर्ड के सदस्यों तथा सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

वरिष्ठ रंगकर्मी पवन शर्मा का निधन

परिजनों ने उनकी पार्थिव देह निम्स अस्पताल को दान की



वरिष्ठ रंगकर्मी स्व. पवन शर्मा

जयपुर (कासं)। जयपुर रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी पवन शर्मा का रविवार 9 नवंबर को निम्स अस्पताल में निधन हो गया। पवन शर्मा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए परिवारजनों ने निम्स अस्पताल को उनकी देहदान कर दी। इस दौरान निम्स अस्पताल परिसर में सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स से निम्स अस्पताल अर्पित की। इसके बाद निम्स प्रांगण में उनके नाम का पौधा भी लगाया गया। बहुत कम उम्र



निम्स अस्पताल परिसर में वरिष्ठ रंगकर्मी स्व. पवन शर्मा को सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

से रंग मंच से जुड़े पवन शर्मा बेहतरीन अभिनेता, निदेशक और प्रकाश संचालक थे। वे पिछले करीब 15 सालों से रंग कमियों को तथा जूनियर नाट्य कार्यशाला में युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण दे रहे थे और बेहद लोकप्रिय टीचर थे। राखपूताना, नवी नम्बर, पंचनामा, चंचाकली का राम रुपैया,

हत्त तेरी किस्मत, वेटिंग फॉर गॉड, कोऊ संत मिले बड़भागी, मैं एक अभिनेता था...उनके लोकप्रिय नाटक हैं। पवन शर्मा के उनके अचानक चले जाने से रंगमंच जगत गहरे शोक में है। रंगकर्मियों ने कहा कि, स्व. पवन शर्मा मंच के प्रति अनुशासन और समर्पण के प्रतीक थे।

‘अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं, हाउसिंग बोर्ड व जेडीए 4 सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश करे’

हाईकोर्ट ने सांगानेर में आवासन मंडल की अवाप्तशुदा जमीन पर बसी अवैध कॉलोनियों व अतिक्रमण मामले में आदेश दिए

जयपुर (कासं) । राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की अवाप्तशुदा जमीन पर बसी अवैध कॉलोनियों व अतिक्रमण मामले को बतौर न्यायिक प्रकरण को सौंपा गया है, जबकि जयपुर हेरिटेज निगम को आयुक्त डॉ. निधि पटेल को आगामी आदेश तक एपीओ किया है। इसी प्रकार कोटा नगर निगम का कार्यभार आरएएस ओपेनप्रकाश मेहरा को सौंपा है, जे कोटा दक्षिण निगम के आयुक्त थे। कोटा उतर निगम आयुक्त अशोक कुमार त्यागी को एपीओ किया गया है। इसी प्रकार जोधपुर नगर निगम का कार्यभार आईएएस सिद्धार्थ पालानीचामी को सौंपा गया है।

कि वे खाली भूखंडों पर कब्जा करें। वहीं इस दौरान सांगानेर में बसी कॉलोनियों की ओर से कई विकास समितियों ने भी मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र लगाया। जिसमें सभी विकास समिति व श्री राम कॉलोनी के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई।

अदालत ने समिति के पदाधिकारियों के नाम पुछे तो विकास समिति बता नहीं पाई। वहीं कई समितियों के प्रार्थना पत्र अदालत के रिकॉर्ड पर ही नहीं आए। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट अजीत शर्मा ने कहा कि उनका प्रार्थना पत्र पत्रावली पर नहीं आ पाया है। जिस पर अदालत ने कहा कि ईंटवीनर के तौर पर उनका पक्ष भी सुना जाएगा। वहीं राज्य सरकार व आवासन मंडल की ओर से सीनियर एडवोकेट कमलाकर शर्मा ने कहा कि आवासन मंडल ने करीब 5 हजार बीघा

जमीन अवाप्त की थी। इसमें कई लोग मकान बनाकर रह रहे हैं और करीब एक हजार बीघा से ज्यादा जमीन खाली है। इस पर खंडपीठ ने उन्हें कहा कि हमें सरकारी अवाप्त शुदा भूमि की वृत्ति है, सभी अतिक्रमण तुरंत हटाए जाने चाहिए। इस पर राज्य सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा।

जिस पर अदालत ने 9 दिसंबर तक का समय देते हुए कहा कि इसके बाद समय नहीं दिया जाएगा। उसी दिन पीडित पक्षकारों के प्रार्थना पत्रों पर भी बहस सुनी जाएगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 अगस्त 2025 के अंतिम आदेश से राज्य सरकार का निर्देश दिया था कि वह हाउसिंग बोर्ड की अवाप्तशुदा जमीन से अतिक्रमण हटाकर उन्हें ध्वस्त करे। वहीं उन अफसरों के खिलाफ कार्यवाई करे जिन्होंने अवैध निर्माण मंजूर किए थे।

मुख्यमंत्री की प्रदेश के युवाओं को सौगात

जयपुर (कासं) । राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में दिसंबर महीने में “रोजगार उत्सव” आयोजित कर 20 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह आयोजन नियुक्तियों का उत्सव होने के साथ ही प्रदेश में रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय भी खोलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को सभी लॉबिंग भर्तियों को शीघ्र निस्तारित कर पात्र अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने

कहा, युवा शक्ति ही राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार का प्रयास है कि हर योग्य युवा को सम्मानजनक रोजगार मिले, ताकि उसकी ऊर्जा प्रदेश निर्माण में लग सके। दिसंबर माह में राज्यभर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में विभिन्न विभागों की चयन प्रक्रियाएं पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की पहल पर रोजगार उत्सव के दौरान जेल विभाग में 900 जेल प्रहरी, पशुपालन विभाग में 2,500 पशुधन सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 14,000 पद, ग्रामीण विकास विभाग में करीब 2,600 पद और

खान विभाग में 100 से अधिक नियुक्तियां दी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 92 हजार युवाओं को सरकारी अवाप्त शुदा भूमि की वृत्ति है, सभी अतिक्रमण तुरंत हटाए जाने चाहिए। इस पर राज्य सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा।

जिस पर अदालत ने 9 दिसंबर तक का समय देते हुए कहा कि इसके बाद समय नहीं दिया जाएगा। उसी दिन पीडित पक्षकारों के प्रार्थना पत्रों पर भी बहस सुनी जाएगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 अगस्त 2025 के अंतिम आदेश से राज्य सरकार का निर्देश दिया था कि वह हाउसिंग बोर्ड की अवाप्तशुदा जमीन से अतिक्रमण हटाकर उन्हें ध्वस्त करे। वहीं उन अफसरों के खिलाफ कार्यवाई करे जिन्होंने अवैध निर्माण मंजूर किए थे।